न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 70/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00149
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.05.2024

1. सोहनलाल पुत्र सोरन जाति जाट निवासी महरावर तह. कुम्हेर

प्रार्थी

बनाम

1. उर्मिला पत्नि अमरसिंह जाति जाट निवासी लखनपुर तह. नदबई
2. शशि पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी लखनपुर तह. नदबई
3. सीमा पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी लखनपुर तह. नदबई
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
5. नायब तहसीलदार लखनपुर
6. सबरजिस्ट्रार नदबई
7. सबरजिस्ट्रार लखनपुर
8. सरपंच ग्राम पंचायत लखनपुर

अप्रार्थी

उपस्थित श्री महावीर प्रसाद. एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री निर्भयसिंह एड.(प्रार्थी की ओर से)

निर्णय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।

2. यह कि विवादित आराजी खाता 489 के आराजी खसरा न. 1195 रकवा 0.20, 1196 रकवा 1.26 किता 2 रकवा 1.46 है. वाके ग्राम

20/5/24

लखनपुर तहसील नदबई नदबई के 65/219 हि. पर तथा खाता सं. 125 के खसरा न. 1369 रकवा 0.40 के 17/64 हिस्सा पर तथा खसरा न. 1458 रकवा 0.09, 1459 रकवा 0.10 किता 2 कुल रकवा 0.19 है. वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई के 1/3 हिस्से पर तथा खाता सं. 147 के खसरा न. 1187 रकवा 0.20 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई के 2/3 हिस्से पर तथा खाता सं. 189 के खसरा न. 1183 रकवा 0.08 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई के 1/6 हिस्से पर तथा खाता सं. 490 के खसरा न. 1194 रकवा 0.01 गैरमुमकिन कुआ के हिस्सा 1/3 वाके लखनपुर पर प्रार्थी अपनी पत्नि लज्जा के साथ–साथ व उसके अस्वस्थ हो जाने के बाद व दिनांक 02.05.2018 को अपनी पत्नि लज्जा के मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आराजी पर खातेदार की तरह काबिज चला आ रहा है।

3. यह है कि विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है।

4. यह है कि विवादित आराजी को अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 व अप्रार्थी स. 4 व 5 से मिलजुल कर साज कर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी कराके व अप्रार्थी स. 6,7,व 8 से साज कर व मिलजुलकर विवादित आराजी को किसी दीगर व्याक्ति को रहनबय मुन्तकिल करने के प्रयास में है। तथा मृतक लज्जा पत्नि सोहनलाल पुत्री किशन का वारिस न होते हुऐ भी अपने नामान्तकरण की प्रकिया अप्रार्थी स. 5 व 6 से साज करते हुऐ प्रकियाधीन है। अगर प्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 अप्रार्थी 4 लगायत 8 से मिल जुल कर साज कर

20/5/24

Scanned with OKEN Scanner

अपने नाम इन्द्राजात खोतदारी गलत तरीके से कराने के प्रयास में है। इसलिए वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी है।

5. यह है कि विवादित आराजी में मृतक लज्जा पुत्री किशन जिसकी मृत्यु दिनांक 02.05.2018 को हो चुकी है के नाम के इन्द्राजात खातेदारी व अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 के नाम नामान्तकरण 1212 दिनांक 21.05.2019 विरासतन लज्जा पुत्री किशन के स्थान पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के नाम इंतकाल की प्रक्रिया जारी है। हाल राजस्व रिकॉर्ड में चले आरहे उक्त गलत खातेदारी के इन्द्राजात से प्रार्थी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडता है, तथा विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी के खाता सं. 489 के 65/219 हि. वाके ग्राम लखनपुर व खाता सं. 125 वाके ग्राम लखनपुर के 17/64 हिस्सा पर तथा खाता सं. 590 वाके ग्राम लखनपुर के 2/3 हिस्से पर तथा खाता सं. 147 वाके ग्राम लखनपुर के 2/3 हिस्से पर तथा खाता सं. 189 के 1/6 हिस्से पर तथा खाता सं. 490 वाके ग्राम लखनपुर के 1/3 हिस्से पर लज्जा मृतक के स्थान पर अपने आपको खातेदार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है तथा मृतक लज्जा पुत्री किशन के नाम के इन्द्राजात खातेदारी को एवं नामान्तकरण सं. 1212 तारीख 21.05.2019 विरासतन लज्जा पुत्री किशन के स्थान पर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 के नाम प्रक्रियाधीन इंतकाल को वातिल व अेअसल घोषित करा पाने के अधिकारी है।

20/5/24

Scanned with OKEN Scanner

6. यह कि विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी को अब पूर्व की भांति शामिल काश्त करना संभव नहीं रहा है तथा विवादित आराजी की काश्त व लगान के संबंध में झगडे पैदा हो गये हैं तथा विवादित आराजी की काश्त व लगान के संबंध में झगड़े पैदा हो गये हैं। अतः प्रार्थी विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य उनके रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार बटवारा करा पाने का अधिकारी है।

7. यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 ने वामुकाम लखनपुर तहसील नदबई पर दिनांक 03.06.19 को प्रार्थी को यह एलानियां धमकी दी है कि वे प्रार्थी की मृतक पत्नि लज्जा की खातेदारी व कब्जे की विवादित आराजी मद सं. 2 प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण सं. 4 लगायत 8 से मिलजुल कर व साज करते हुये अपने नाम दाखिला खारिज तस्दीक करा के विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र को किसी दीगर व्यक्ति को वय व मुन्तकिल कराके रहेंगे अगर अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी।जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 को अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

8. यह कि प्राईमाफेसी व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी मद सं. 2

20/5/24

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र पर अपने नाम इन्द्राजात खातेदारी न कराये तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे तथा विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहनवयमुन्तकिल नहीं करे तथा अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 विवादित आराजी के बाबत कोई रहननामा व वयनामा तस्दीक न करे तथा अप्रार्थी सं. 8 अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 के पक्ष में विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र का दाखिला खारिज तस्दीक नहीं करें तथा अप्रार्थीगण ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर जबाल आवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है।

1. यह कि वादपत्र मद सं. 1 स्वीकार नहीं है, कानूनी है न्यायालय श्रीमान द्वारा विचारणीय है।
2. यह कि वादपत्र मद सं. 2 में वर्णित आराजी का ग्राम लखनपुर तहसील नदबई में स्थित होना स्वीकार है शेष कथन स्वीकार नहीं है स्व. श्रीमति लज्जा के नाम अंकित हिस्सा आराजी से सायल का कोई संबंध नहीं हउसे कोई अधिकार श्रीमति लज्जा के द्वारा छोडी गई इस आराजी में प्राप्त नहीं है श्रीमति लज्जा की दिनांक 02.05.2018 को मुत्यु होना सही है लज्जा की मृत्यु होने के पश्चात उसके नाम अंकित आराजी को हम गैर सायलान सं. 1 से 3 ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) के अनुसार सम्भाग प्रत्येक उत्तराधिकार में प्राप्त किया है इस प्रकार हम गैरसायलान सं. 1 से 3 लज्जा के

20/5/24

स्थान पर विवादित आराजी में समभाग प्रत्येक की खातेदार काश्तकार काबिज है।

3. यह कि मद सं. 3 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है। कथित सजरे में लज्जा का उत्तराधिकारी वादी सोहनलाल को गलत अंकित किया है सोहनलाल मृतका लज्जा का विधिक उत्तराधिकारी नहीं है सोहनलाल के अलावा किशन के अन्य उत्तराधिकारी सही अंकित किये हैं परित्याग करने पर लज्जा मृतक सोहनलाल पत्नि भी नहीं रही है, उसने दूसरी शादी हरदेई से करली है।

4. यह कि वादपत्र मद सं. 4 स्वीकार नहीं है, कतई मिथ्या एवं बनावटी कथन इस खण्ड में अंकित किये हैं हम गैरसायलान सं. 1 से 3 की गैरसायल सं. 4 व 5 से कोई साजिश नहीं है, लज्जा के द्वारा छोडी आराजी को उसके मरणोपरान्त हम गैरसायलान सं. 1 से 3 ने समभाग उत्तराधिकार में प्राप्त किया है क्योंकि लज्जा के नाम आराजी है उसे उसके पिता किशन से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, ओर लज्जा की मृत्यु निसंतान हुई है इसलिये धारा 15(2) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह आराजी हम गैरसायलान 1 लगायत 3 को मिली है। इसलिये हम गैरसायलान मृतक लज्जा के स्थान पर राजस्व अभिलेख में अपने नाम नामांतकरण स्वीकृत कराने व खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं। सायल सोहनलाल को कोई अधिकार उत्तराधिकारी मृतक का प्राप्त नहीं है।

5. यह कि वादपत्र मद सं.5 में मृतक लज्जा का विरासत का नामांतकरण 1212 हम गैरसायलान सं. 1 से 3 के नाम भरा जाकर प्रक्रियाधीन है,

20/5/24

Scanned with OKEN Scanner

शेष कथन अस्वीकार है। आराजी हिस्सा को हम गैरसायलान सं. 1 लगायत 3 से नामांतकरण सं. 1212 के द्वारा सही रूप से स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें सायल सोहनलाल कोई अवरोध पैदा करने का अधिकार नहीं है। सायल को घोषणा हम गैरसायलान के विरूद्ध व नामांतकरण के संबंध में न्यायालय श्रीमान से जारी कराने का अधिकार नही है। हम गैरसायलान के हक में दाखिला खारिज सं. 1212 बिल्कुल सही व उचित की जा रही ळें

6. यह कि वादपत्र मद सं. 6 स्वीकार नहीं है। सायल का विवादित आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है तो उसके द्वारा शामिल काश्त करना व विभाजन कराना कतई संभव नहीं है इसलिये सायल विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है। तथा न ही गैरसायलान के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है एवं न ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074–76 वाके ग्राम लखनपुर, नकल फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र लज्जादेवी, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 06.03.2017 उर्मिला बनाम लज्जा वगै. मु. सं. 14/12, नकल निर्णय दिनांक 06.03.2017, नकल फोटोप्रति आदेशिका आरएए भरतपुर अपील सं. 36/19 उर्मिला बनाम लज्जा, नकल आदेशिका 07.06.2019 से 09.12.2019 तक न्यायालय आरएए भरतपुर, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम लखनपुर, नकल इंतकाल सं. 544 वाके ग्राम लखनपुर , नकल जमाबंदी संवत 2048–51 वाके ग्राम लखनपुर पेश की गई।

20/5/24

अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सं. 2/21 उर्मिला बनाम सोहनलाल न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर पेश की गई।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1. **पृथमदृष्टया केस**– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसमें खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित विवादित आराजी आराजी खाता 489 के आराजी खसरा न. 1195 रकवा 0.20, 1196 रकवा 1.26 किता 2 रकवा 1.46 है. वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई नदबई के 65/219 हि. पर तथा खाता सं. 125 के खसरा न. 1369 रकवा 0.40 के 17/64 हिस्सा पर तथा खसरा न. 1458 रकवा 0.09, 1459 रकवा 0.10 किता 2 कुल रकवा 0.19 है. वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई के 1/3 हिस्से पर तथा खाता सं. 147 के खसरा न. 1187 रकवा 0.20 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई के 2/3 हिस्से पर तथा खाता सं. 189 के खसरा न. 1183 रकवा 0.08 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई के 1/6 हिस्से पर तथा खाता सं. 490 के खसरा न. 1194 रकवा 0.01 गैरमुमकिन कुआ के हिस्सा 1/3 वाके लखनपुर पर स्थित है। वादी/प्रार्थी द्वारा वादपत्र में विवादित आराजीयात प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात को बतलाया गया है तथा पुश्तैनी आराजी मे से प्रार्थी/वादी के खातेदारी अधिकार तय होने है एवं वाद पत्र में

20/5/24

मृतक लज्जा पत्नि सोहनलाल पुत्री किशन का वारिस नही होना बताया गया है। उक्त बिन्दू पत्रावली में तनकीयात कायम कि जाकर साक्ष्य लेकर विवादित भूमि का निर्णय मैरिट पर तय किया जावेगा एवं वाद कि विषय वस्तु को वाद के निस्तारण तक बनाये रखना आवश्यक है तथा यह भी जरूरी है कि बैजात तौर पर मुकदमे बाजी ना बढे तथा वाद के निस्तारण में कठिनाईया पैदा ना हो इस प्रकार प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में साबित में बखूबी साबित है।

<u>2.सुविधा का सतुलन</u> – मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।

<u>3.अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया जाता है तो विवादित आराजी का खुर्दबुर्द रहने का अन्देसा रहेगा तथा वाद कि विषय वस्तु में परिवर्तन तो जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 04.06.2019 ताफैसला इस आशय के कर्न्फमन किया जाता है कि विवादित आराजी की रिकॉर्ड कि यथा स्थिति बनाऐ रखे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024. को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

20/5/24
(गगांधर मीना)
सहायक कलेक्टर
आर.ए.एस.
नदबई जिला भरतपुर
सहायक कलक्टर,नदबई

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)